

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठारीन अधिकारी श्री यश चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 196/2019

अन्तर्गत धारा 183, 188 RT Act.

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
सरादीन पुत्र मलुक जाति मुसलमान, निवारी गतुजा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. बच्चा पुत्र पनू जाति मुसलमान, निवारी गतुजा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक लखा 3. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :- वादी अधिवक्ता - श्री नरेन्द्रसिंह शियाम।
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 - श्री वृजमोहन कुमावत।

---: निर्णय :-

दिनांक : 12.09.2025

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी का खेत गौजा मतुजा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 81 रकबा 49.10 बीघा का आया हुआ है। जिस पर वादी का निरन्तर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। वादी की अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाई हुई है। वादी की उक्त आराजी के सेढा सेढा ही प्रतिवादी संख्या 1 का गौजा रावत का गांव, तहसील शिव में खातेदारी खेत खसरा नम्बर 9 रकबा 110.03 बीघा का आया हुआ है। वादी द्वारा अपनी भूमि की नेखमबंदी आदेश की पालना में पैमाईश करवाई गई, जिसमें मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार बिन्दू एक्स से वाई वाली भूमि रकबा 08.00 बीघा पर सेढा पड़ौसी खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 का अतिक्रमण पाया गया है। नेखमबंदी के दौरान वादी की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा पाये जाने पर उन्हें कब्जा हटाने हेतु कहा गया तब प्रतिवादी द्वारा कब्जा हटाने से मना कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की खातेदारी में जबरदस्ती व बलपूर्वक प्रवेश कर उसे बेदखल करने की धमकियां दी गई जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। उक्त विवादित आराजी का वादी रेकर्ड्ड खातेदार है तथा मौके पर काबिज काश्त है। वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद जानकारी होने पर भी वादी की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने पर आमादा है। अतः वादी द्वारा उक्त वाद प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में किये गये जबरन अतिक्रमण को हटाया जाकर उन्हें बेदखल करते हुए विवादित आराजी का कब्जा वादी को दिलवाने तथा वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने बाबत वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वादी की भूमि ओवरलेप होने का कथन करते हुए रि-सेटलमेंट से पूर्व किसी प्रकार का रदोबदल नहीं करने का अनुतोष चाहा गया है। वाद में विवाद्यक पैदा होने पर तनकीयात कायम की गई। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप अपना बयान शपथ पत्र पेश किया गया तथा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी से जिरह की गई, जिसके बयान कलमबद्ध किये गये। प्रतिवादी साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने पर प्रतिवादी साक्ष्य का अवसर बंद किया गया।

पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद को स्वीकार कर वादी की खातेदारी भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल करते हुए वादग्रस्त आराजी पर नेखमबंदी पैमाईश रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किये गये विधि विरुद्ध अतिक्रमण को हटाया जाकर जब्त करते हुए कब्जा वादी को दिलवाने तथा वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं किये जाने का पारित करने का निवेदन किया गया। इसके विपरीत प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा बहस में वादग्रस्त आराजी दो राजस्व ग्रामों की सीमा पर आई हुई होने से आपसी सीमाएं नहीं मिलने तथा ओवरलेप होने पर भूमि की सही पैमाईश नहीं होने का कथन करते हुए गांव की सरहदों पर स्थित सुरियों से मिलान करते हुए सेढा पड़ौसियों की उपस्थिति में पुनः पैमाईश का निवेदन किया गया तथा उक्त वाद चलने योग्य नहीं होने से वाद खारिज का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि वाद में विवाद्यक पैदा होने से पूर्व में तनकीयात कायम की जा चुकी है, अतः वाद का निस्तारण तनकीवार विवेचन के आलोक में किया जाना उचित एवं न्यायहित में प्रतीत होता है। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है -

तनकी संख्या 1 - आया वादग्रस्त आराजी तहसील शिव, पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव के ग्राम मतुजा में अवस्थित खेत खसरा नम्बर 81 रकबा 49.10 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 को अतिक्रमी घोषित किया जाकर प्रतिवादी के खर्चे से वादी की खातेदारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाया जाकर कब्जा वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

उक्त तनकी का भार वादी पर था, जिसमें तहसीलदार शिव द्वारा नेखमबंदी आदेश की पालना में की गई पैमाईश रिपोर्ट से स्पष्ट है वादी की भूमि पर बिन्दु एक्स से वाई तक प्रतिवादी संख्या 1 का अतिक्रमण पाया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे सिद्ध हो सके की भूमि की पैमाईश सही नहीं हुई हो। अतः नेखमबंदी मौका फर्द में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किया हुआ सिद्ध होने से वादी अपनी खातेदारी भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाया जाकर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होने से उक्त तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 - कि आया वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जा काश्त में प्रतिवादी द्वारा की जा रही दखलदांजी/हस्तक्षेप को रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। (जिम्मे वादी)

उक्त तनकी में वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के कब्जा काश्त में की जा रही दखलदांजी को रोकने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि पैमाईश रिपोर्ट से ही स्पष्ट है कि वादी की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा व अतिक्रमण होना पाया गया है। अतः वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किया हुआ होने तथा दखलदांजी रोकने हेतु वादी, प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का विधिक अधिकारी होने से उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3 - कि आया वादग्रस्त आराजी की पैमाईश गलत की हुई होने तथा विवादित आराजी का खसरा ओवरलेप होने से वादी का वाद खारिज करवाने का अधिकारी है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

उक्त तनकी का भार प्रतिवादी संख्या 1 पर था, जिसमें पैमाईश रिपोर्ट गलत की हुई होने तथा भूमि ओवरलेप होने वाद खारिज का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे साबित हो सके कि विवादित आराजी की पैमाईश गलत की गई हो अथवा विवादित भूमि का खसरा ओवरलेप हो। नेखमबंदी रिपोर्ट में भी वादग्रस्त आराजी के ओवरलेप होने का कोई अंकन या विवेचन नहीं किया गया है। अतः नेखमबंदी मौका रिपोर्ट में पैमाईश रिपोर्ट गलत अथवा भूमि ओवरलेप होने का कोई साक्ष्य नहीं होने तथा प्रतिवादी संख्या 1 का अतिक्रमण किया हुआ होने से प्रतिवादी संख्या 1 उक्त तनकी को अपने पक्ष में निर्णित करवाने में अफसल होने से उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 - आया वादग्रस्त आराजी की नेखमबंदी सही नहीं होने तथा मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने से वादी, प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की स्थायी निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है। (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)


उक्त तनकी के संबंध में नेखमबंदी सही नहीं होने के संबंध में तनकी संख्या 3 में विवेचन किया जा चुका है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का अतिक्रमण होना पाया गया है, जिसे प्रतिवादी को वादी बेदखल करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नेखमबंदी पैमाईश रिपोर्ट गलत होने का कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया है। अतः इस प्रकार वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 का कब्जा व अतिक्रमण किया हुआ साबित होने से वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होने से उक्त तनकी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5 - अन्य दादरसी।


उपरोक्तानुसार तनकीयात के विवेचन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण किया जाना साबित है। नेखमबंदी पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर वादी समस्त तनकीयात को अपने पक्ष में निर्णित करवाये जाने में सफल रहा है। प्रतिवादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया, जिससे उक्त विवादित आराजी की नेखमबंदी पैमाईश रिपोर्ट गलत होना अथवा भूमि ओवरलेप होना साबित हो सके। अतः उक्त स्थिति में वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अतिक्रमण व कब्जा किया हुआ साबित होने पर वादी अपनी खातेदारी भूमि से

अतिक्रमण हटाने का विधिक अधिकारी होने से वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी की खातेदारी भूमि मौजा मतुजा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 81 रकबा 49.10 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करने बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तथा तहसीलदार शिव को आदेशित किया जाता है कि राजस्व टीम का गठन कर वाद पैमाईश विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का अतिक्रमण व कब्जा पाया जाने पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया जाकर बेदखली की कार्यवाही करते हुए कब्जा वादी को सुपुर्द करना सुनिश्चित करें। आवश्यकता होने पर थानाधिकारी, पुलिस थाना शिव से पुलिस इमदाद प्राप्त की जायें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।


सहायक कलेक्टर
शिव (SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
शिव (SDO) शिव